

सी.जी.-डी.एल.-सा.-11012021-224325 CG-DL-W-11012021-224325

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2]नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 9—जनवरी 15, 2021 (पौष 19, 1942)No. 2]NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 9—JANUARY 15, 2021 (PAUSA 19, 1942)

इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

## [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं।

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

> श्रम और रोजगार मंत्रालय (कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2020

सं. ए-12/11/3/फिजियो.ऑक्यो.-भ.वि./2017-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनिग्रम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (परा-चिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे भ्रौतिक चिकित्सक पद से संबंध रखते हैं में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भौतिक चिकित्सक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचान्ने राज्य बीमा निगम, भौतिक चिकित्सक, भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीयता- अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिप्र होना चाहिए :-

(क) भारत का नागरिक; अथवा

(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।

1-409 GI/2020

लोक सेवा आयोग की राय है कि आवश्यक अनुभव		
प्राप्त अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति		
समुदायों से अभ्यूर्थियों की पर्याप्त संख्या, उनकी		
आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए संभवत: उपलब्ध		
नहीं है, इनसे संबंधित अभ्यर्थी के तत्संबंधी मामले		
लेखाबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर		
अनुभव संबंधित अर्हता शिथिलरा योग्य है।		

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा
$\langle \rangle$	आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीक्तरण के विचारार्थ) का	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
गठन :-	आवश्यक है।
(1) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम	
- अध्यक्ष;	
(2) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), मुख्यालेक्	
कर्मचारी राज्य बीमा निगम	
—सदस्य;	
(3) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक, (स्थापना-I),	
(मुख्यालय), कर्मचारी राज्य बीमा निगम	
—सदस्य.	
	अनेराधा प्रसाद
	अनुर्यत्र प्रसाद महानिदेशक

सं. ए-12/11/3/फिजियो.ऑक्यो.-भ.वि./2017-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948)1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (पराचिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे व्यावसायिक चिकित्सक पद से संबंध रखते हैं में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में व्यावसायिक चिकित्सक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, व्यावसायिक चिकित्सक, भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीयता- अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए :-

(क) भारत का नागरिक; अथवा

(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।

 पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 5. शारीरिक स्वस्थता :-

(1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।

(2) अभ्यर्थी जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चात इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, तो नियुक्त नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी : शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुरुपी नियुक्ति के समान ही होगा।

- 6. निरर्हता— ऐसा कोई व्यक्ति—
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा
  - (ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।

- 7. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा केंद्रीय सरकार के पूर्व विशिष्ट अनुमोदन तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।
- 8. व्यावृत्ति— इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती होने वालों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
व्यावसायिक चिकित्सक।	31*(2020) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन।	समूह 'ख', गैर-अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 (35,400- 1,12,400 रुपये)।	लागू नहीं।	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पणी : आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा विज्ञापित होगी।

अनुसूची

के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती होने वालों के लिए	परिवीक्षा	भर्ती की पद्धति, क्या	पदोन्नति या
	विहित आयु तथा शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति पाने वालों के मामले में भी लागू होंगी	की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
अनिवार्य अर्हता : 1.(i) व्यावसायिक चिकित्सा में दो वर्ष का डिप्लोमा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित विश्वविद्यालय या संस्था अथवा इस प्रयोजन हेतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार प्राधिकृत विनियामक निकाय से विधिवत मान्यता प्राप्त हो; तथा (ii) डिप्लोमा के पश्चात् न्यूनतम सौ बिस्तरों के अस्पताल तथा सुसंगत विधि के अंतर्गत केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत नेंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत नेंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल से तीन वर्ष का अनुभव। अथवा 2.(i) व्यावसायिक चिकित्सा में तीन वर्ष का डिप्लोमा, जो विश्वविद्यालय या संस्था अथवा इस प्रयोजन हेतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार प्राधिकृत विनियामक निकाय से विधिवत मान्यता प्राप्त हो; तथा (ii) डिप्लोमा के पश्चात् न्यूनतम सौ बिस्तरों के अस्पताल तथा सुसंगत विधि के अंतर्गत केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत तंकीकृत अस्पताल से दो वर्ष का अनुभव। अथवा 3.(i) व्यावसायिक चिकित्सा में कम-से-कम चार वर्ष की स्नातक डिग्री हो, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदित विश्वविद्यालय या संस्था अथवा इस प्रयोजन हेतु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार प्राधिकृत विनियामक निकाय से विधिवत मान्यता प्राप्त हो; तथा (ii) न्यूनतम सौ बिस्तरों के अस्पताल तथा सुसंगत विधि के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल तथा सुसंगत विधि के अंतर्गत दंग्रीक्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत कंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल ते से दिग्री के पश्चात् एक वर्ष का अनुमव। टिप्पणी 1 : यदि अभ्यर्थी भिन्न प्रकार से सुअर्ह है,	लागू नहीं।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी : पदधारी द्वारा एक वर्ष अथवा अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर बाहर होने अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययनार्थ छुट्टी अथवा अन्य किसी परिस्थिति के अंतर्गत रिक्ति केंद्रीय सरकार के अधिकारी से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जाएगी। (क) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पदधारी; तथा (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव धारक। (समान अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा, आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।	लागू नहीं।

तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा		
आयोग के विवेक पर अर्हता शिथिलता योग्य है।		
टिप्पणी 2 : यदि चयन के किसी भी चरण में संघ		
लोक सेवा आयोग की राय है कि आवश्यक अनुभव		
प्राप्त अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति		
समुदायों से अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या, उनकी		
आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए संभवत:		
उपलब्ध नहीं है, इनसे संबंधित अभ्यर्थी के तत्संबंधी		
मामले लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के		
विवेक पर अनुभव संबंधित अर्हता शिथिलता योग्य		
है।		

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय
	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
	जाना है
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :-	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से
(1) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम	परामर्श आवश्यक है।
—अध्यक्ष	
(2) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा	
निगम	
—सदस्य	
(3) निदेशक अथवा संयुक्त निदेशक अथवा उप निदेशक, (स्थापना-I), (मुख्यालय), कर्मचारी	
राज्य बीमा निगम	
—सदस्य	

अनुराधा प्रसाद महानिदेशक

सं. ए-12/11/6/भ.वि.ग्रेड-ग/भाग-II/2017-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (परा-चिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे श्रव्यतामिति तकनीशियन के पद से मंग्रंध रखते हैं, में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में श्रव्यमापी तकनीशियन (पूर्ववर्ती श्रव्यतामिति तकनीशियन) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रव्यमापी तकनीशियन) भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख़ से लागू होंगे।

- 2. राष्ट्रीयता- अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिए :-
  - (क) भारत का नागरिक: अर्थवा

(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।

India Council for Technical Education approved university or institution or by Central Government or State Government authorised regulatory body for this purpose; and			shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).
(ii) One year post-degree experience from a hospital having minimum of hundred beds and registered under Central Government or State Government under the relevant law.			
Note 1:- Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.			
Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of the candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage			
of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			
	<u></u>		
If a Departmental Promotion Committee exists,	what is its cor	nposition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)			(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Comr confirmation) consisting of:—	mittee (for co	onsidering	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.
1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation			
1. Wedeen Commissioner, Employees State ms	-		
		Chairman;	
2. Director or Joint Director (Medical Admin Employees' State Insurance Corporation	istration), Hea	adquarter,	
3. Director or Joint Director or Deputy Dire Headquarter), Employees' State Insurance Corp		shment-1,	
	-	-Member.	

ANURADHA PRASAD Director General

No. A-12/11/3/Physio-Occup-RR/2017-Med.-VI.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (3) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees State Insurance Corporation (Para Medical Post), Recruitment Regulations, 2010, in so far as they relate to the post of Occupational Therapist, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Occupational Therapist in Employees' State Insurance Corporation, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Occupational Therapist, Recruitment Regulations, 2020.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Nationality. A candidate for appointment must be:---
  - (a) a Citizen of India; or
  - (b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
- 3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these Regulations.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Physical fitness.—(1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer/employee in the service.

(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be same as for corresponding appointment under the Central Government.

- 6. Disqualification.—No person,—
  - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

- 7. Power to relax.—Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing and after obtaining specific prior approval of the Central Government, and in consultation with Union Public service Commission relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- 8. Savings.—Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Occupational Therapist	31*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non- Ministerial.	Level 6 in the pay matrix (Rs. 35,400 - 1,12,400).	Not applicable.	Not exceeding Thirty years. (Relaxable for employees of Employees' State Insurance Corporation and Government servants upto five years' in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date of determining the age limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.

## SCHEDULE

Educational and other and life at a mark 16	Whather	Daria 1 - C	Mathad	In accessf
Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential qualification: 1. (i) Two years Diploma in Occupational Therapy duly recognised by University Grants Commission or All India Council for Technical Education approved university or institution or by Central Government or State Government authorised regulatory body for this purpose; and (ii) Three years' post-diploma experience as such from a hospital having minimum of hundred beds and registered under Central Government or State Government under the relevant law. OR 2. (i) Three years Diploma in Occupational Therapy duly recognised by University Grants Commission or All India Council for Technical Education approved university or institution or by Central Government or State Government authorized regulatory body; and (ii) Two years' post-diploma experience as such from a hospital having minimum of hundred beds and registered under Central Government or State Government under the relevant law. OR 3. (i) Minimum four years Bachelor's degree in Occupational Therapy duly recognised by University Grants Commission or All India Council for Technical Education approved university or institution or by Central Government or State Government authorised regulatory body for this purpose; and (ii) One year post-degree experience from a hospital having minimum of hundred beds and registered under Central Government or State Government or State Government authorised regulatory body for this purpose; and (ii) One year post-degree experience from a hospital having minimum of hundred beds and registered under Central Government or State Government under the relevant law. Note 1:—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Union	(8) Not applicable.	(9) Two years.	<ul> <li>(10)</li> <li>By Direct recruitment.</li> <li>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officer of Central Government:</li> <li>(a) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and</li> <li>(b) Possessing educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).</li> <li>(Period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).</li> </ul>	(11) Not applicable.
Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of the candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled				

PART III-SEC. 4]

Tribes, if at any stage of selection the Union		
Public Service Commission, is of the opinion		
that sufficient number of candidates from these		
communities possessing the requisite experience		
are not likely to be available to fill up the		
vacancies reserved for them.		

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:—	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.
1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation	
- Chairman;	
2. Director or Joint Director (Medical Administration), Headquarter, Employees' State Insurance Corporation.	
-Member;	
3. Director or Joint Director or Dy. Director, (Establishment-1, Headquarter), Employees' State Insurance Corporation	
-Member.	

ANURADHA PRASAD Director General

No. A-12/11/6/RR-Gr.-C/Part-II/2017-Med.-VI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation, (Paramedical post), Recruitment Regulations, 2010 in so far as they relate to the posts of Audiometery Technician, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Audiometer Technician (erstwhile Audiometery Technician) in Employees' State Insurance Corporation, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Audiometer Technician) Recruitment Regulations, 2020.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette,
- 2. Nationality.—A candidate for appointment must be:—
  - (a) a Citizen of India; or

(b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

- 3. Number of post, classification and level in the pay matrix. The number of post, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
- 4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. Physical fitness.—(1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his tuties as an officer/employee in the service.

(2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be same as for corresponding appointment under the Central Government.